हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा प्रेमीबाई बनाम हुक्मनाथ आदि क्र0 प्र0-5/17	
किस्म-अपील 12-2-19 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित/अभिभावक संस्था द्वारा कार्यस्थगित करने का अनुरोध किया/स्वीकार किया जाता है पत्रावली दिनांक 19-3-19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा	
19-3-19 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारे है/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 2-5-19 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
2-5-19 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारे है/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 27-6-19 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
27.06.2019 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर मामले में बहस प्रस्तुत करना चाहने से बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का मेरिट पर, बारिखी से अवलोकन एवं परिक्षण किया गया, तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी ने यह अपील पत्र कथनानुसार अपीलार्थीया की पुश्तैनी आराजीयात ग्राम डोडवानियो का खेडा पटवार हल्का क्षेत्र रूपाहेलीखुर्द स्थित खतौनी संख्या 233 किता 13 रकबा 22—09 बीघा, खतौनी संख्या 234 किता 2 रकबा 03—07 बीघा, खाता, आराजी संख्या 641 रकबा 00—06 बिस्वा, आराजी संख्या 9 रकबा 00—02 बिस्वा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 01 के नाम पर जरिये तथाकथित नामान्तरकरण	

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)

संख्या 1207 दिनांक 06.02.2017 से दर्ज को अपास्त कराये जाने आशय/अनुतोष से प्रस्तुत की गई है।

उल्लेखनीय है कि विवादित आराजीयात को प्रत्यर्थी संख्या 01 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख तत्कालिन खातेदार स्व. मांगी पत्नि हरदेव जाट से क्रय कर, आराजीयात पर हक आधिपत्य हासिल किया था। यानि प्रत्यर्थी संख्या 01 इस आरजीयात का सद्भाविक क्रेता है, ओर बैचानकर्ता मांगी जाट की मृत्यु दिनांक 30.03.2017 को हो चुकी है। समान अनवानी, आराजीयात का एक अन्य प्रकरण जो अपीलार्थी के कथनानुसार मा. न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां वर्तमान में भीं विचारणीय है अथवा मा. न्यायालय का आराजीयात पर किसी प्रकार का स्थगन है या नही, के पुष्टिकरण में सम्यक अवसर प्रदत्त किये जाने के बावजूद, अपीलार्थी सीधे तौर असफल हुए है। यानि यहां स्पष्ट है कि तथाकथित विक्रय विलेख दिनांकित 23.01.2017 के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह विवादित नामान्तरकरण संख्या 1207 दिनांक 06.02.2017 स्वीकृत कर, फैसल किया गया है। ओर रहा प्रश्न विक्रय विलेख को शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने का, तो उस दशा में अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद हासिल करनी चाहिए। मौजूदा इस अपीलपत्र से अपीलार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना न्यायालय उचित नही समझता है।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलपत्र सारहीन व गलत/झूंठे तथ्यो पर आधारित प्रस्तुत हुआ, होने से खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील)